उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग उत्तराखण्ड, पौड़ी

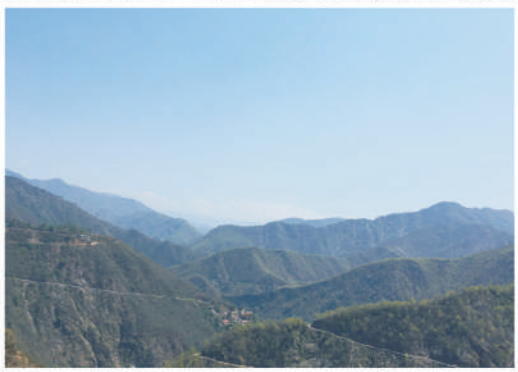

प्रकृति आधारित पर्यटन (ईको टूरिज्म) विश्लेषण एवं सिफारिश

सितम्बर 2018

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग

उत्तराखण्ड, पौड़ी

प्रकृति आधारित पर्यटन (ईको टूरिज्म)

विश्लेषण एवं सिफारिश

सितम्बर 2018

सारांश

पिछले कई द"ाकों में पर्यटन वि"व स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरा है। कई दे"ाों में पर्यटन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारण बना है। पर्यटन से स्थानीय रोजगार एवं सामाजिक–आर्थिक विकास जुड़ा है। वि"व स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र से 29,22,20,000 व्यक्तियों का रोजगार (सीधे और परोक्ष रूप से) प्राप्त हो रहा है (2016)। भारत में भी वर्ष 2017 में पर्यटन से विदे"ाी मुद्रा प्राप्ति में लगभग 17% की वृद्धि हुई है तथा 2,61,48,000 यक्तियों का रोजगार प्राप्त हो रहा है (2017)। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के अनुसार भारत वर्ष 2015 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 52वें पायदान पर था एवं वर्ष 2017 में 40वें पायदान पर पहुँच गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में भी पर्यटन सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड टूरिज्म रैंकिंग में 12वें पायदान पर पहुँच गया है। ऐसा अनुमान है कि उत्तराखण्ड में 46.9 लाख कामगारों में 1.6 लाख लोग पर्यटन से जुडे हैं। एक अनुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2015–2016 में कुल रोजगार सृजन में पर्यटन के क्षेत्र से 17.10% की भागीदारी रही है।

प्रकृति आधारित पर्यटन

ईको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रो के लिए ऐसी रोजगारपरक गतिविधि है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ स्थानीय समुदाय की सम्मानपूर्ण सहभागिता पर आधारित है एवं उनके हितों की रक्षा करती है। राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग दो–तिहाई भू–भाग वन भूमि है, जो कि विभिन्न प्रकार की वन्यजीव प्रजातियों तथा दुर्लभ वनस्पतियों से आच्छादित है। इन वनों में प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण नदियाँ, झरने, हिम–चोटियाँ, ग्ले"ायर एवं अनेक रमणीक स्थल स्थित हैं। राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने हेतु राज्य में अवस्थित वनों की अद्वितीय जैव–विविधता, वन्यजीव विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों की उपलब्धता के मध्यनजर अतिरिक्त रोजगार के सृजन की संभावनाओं के दृष्टिगत ईको–टूरिज्म को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाना अत्याव"यक है। ईको–टूरिज्म के माध्यम से पर्वतीय आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ ही राज्य के पर्वतीय भू–भाग से हो रहे पलायन पर प्रभावी रोक लगायी जा सकती है।

वन्य जन्तु पर्यटन

राज्य के संरक्षित क्षेत्र अनूठी जैव–विविधता के वि"ाल भण्डार हैं। संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 898.06 वर्ग कि0मी0 वन क्षेत्र प्रबन्धित हैं जो कि राज्य के आरक्षित वन क्षेत्र का लगभग 20.78 प्रति"ात हैं। संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार प्रदे"ा के तराई क्षेत्रों से प्रारम्भ होकर मध्य हिमालयी क्षेत्र से होता हुआ उच्च हिमालयी क्षेत्र तक फैला हुआ है। उत्तराखण्ड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 4 वन्य जीव संरक्षण आरक्षिति क्षेत्र हैं। इनमें से 3 को राष्ट्रीय बाघ परियोजना के अन्तर्गत बाघ संरक्षण क्षेत्र भी घोषित किया गया है। हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक इन क्षेत्रों में आते हैं।

उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय उद्यान :–

राष्ट्रोय उद्यान	स्थापना वर्ष	स्थिति (जनपद)	प्रमुख का नाम रेल/रोड़/हवाई मार्ग से दूरी
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान	1936	पौड़ी गढवाल एवं नैनीताल	सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा है। दिल्ली से लगभग 250 कि0मी0
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान	1982	चमोली	हरिद्वार/देहरादून से गोपे"वर राष्ट्रीय मार्ग
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान	1982	चमोली	जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 300 कि0मी0
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	2013	हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल	जौलीग्रांट एयरपोर्ट के निकट
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	1989	उत्तरका"ाी	हरिद्वार/देहरादून से गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर एवं जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 250 कि0मी0
गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान	2013	उत्तरका"ाी	जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 200 कि0मी0

उत्तराखण्ड के वन्यजीव विहार :–

राष्ट्रीय उद्यान	स्थापना वर्ष	स्थिति (जनपद)	प्रमुख का नाम रेल/रोड़/हवाई मार्ग से दूरी
मसूरी वन्यजीव विहार	1993	देहरादून	मसूरी के निकट
केदारनाथ वन्यजीव विहार	1972	चमोली	जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 250 कि0मी0
गोविन्द वन्यजीव विहार	2013	उत्तरका"ाी	जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 200 कि0मी0
अस्कोट वन्यजीव विहार	2013	पिथौरागढ़	दिल्ली–टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर दिल्ली से लगभग 500 कि0मी0
सोनानदी वन्यजीव विहार	1987	गढ़वाल	सड़क एवं रेलमार्ग से जुड़ा है। दिल्ली से लगभग 275 कि0मी0
विन्सर वन्यजीव विहार	1988	अल्मोड़ा	सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा है। दिल्ली से लगभग 375 कि0मी0 तथा काठगोदाम से 100 कि0मी0
नन्धौर वन्यजीव विहार	2012	नैनीताल/चम्पावत	सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा है। दिल्ली से लगभग 300 कि0मी0 तथा काठगोदाम से 30 कि0मी0

उत्तराखण्ड के संरक्षण आरक्षिति

- आसन वेटलैण्ड संरक्षण आरक्षिति (2005) जनपद–देहरादून – 444.40 है0

- झिलमिल झील संरक्षण आरक्षिति (2005) जनपद–हरिद्वार – 3785.30 है0
- पवलगढ़ संरक्षण आरक्षिति (2015) रामनगर– जनपद नैनीताल – 5824.76 है0
- नैना देवी हिमालयी पक्षी संरक्षण आरक्षिति (2015) नैनीताल – 21244.56 है0

राज्य में इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी है। घरेलू पर्यटक आगमन लगातार बढ़ रहे हैं जबकि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की संख्या में उतार–चढ़ाव हुआ है। नीचे दी गई तालिका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के लिए पर्यटक आगमन की संख्या द"र्ाती है। तालिका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के बीच कमी भी दिखाती है।

वर्ष	भारतीय	विदेशो	योग	राजस्व (लाख)
2007-2008	231375	16463	247838	341.95
2008-2009	277487	15503	292990	378.31
2009-2010	285412	15829	301241	547.04
2010-2011	218616	12211	230827	729.33
2011-2012	271579	13329	284908	851.19
2012-2013	281232	11269	292501	790.16
2013-2014	273297	10764	284061	869.84
2014-2015	313652	9284	322936	993.91
2015-2016	328126	12049	340175	1060.73
2016-2017	374575	11685	386260	1168.07

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानो में पर्यटक आगमन (स्रोत उत्तराखण्ड वन संख्यिकी 2016–17)

नीचे दी गई तालिका प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानों के लिए वर्ष 2016–17 में पर्यटक आगमन की संख्या द"र्ाती हैः–

संरक्षित क्षेत्र	भारतीय	विदेशी	योग	राजस्व (लाख)
Corbett NP	260232	6268	266500	918.33
Rajaji NP	45361	2206	47567	101.45
Gangotri NP	11457	1186	12643	31.67
Valley of flowers NP	8962	649	9611	17.20
Nanda Devi NP	5387	353	5740	7.85

Govind WLS	9503	168	9671	25.73
Sonanadi WLS	24163	375	24538	50.31
Kedarnath WLS	9510	480	9990	15.53

राष्ट्रीय उद्यानो में पर्यटक आगमन (स्रोत उत्तराखण्ड वन संख्यिकी 2016–17)

उत्तराखण्ड ईकोटूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना

राज्य में ईकोटूरिज्म को प्रोत्साहित करते हुये इसे व्यवसाय के रूप में अपनाये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 199/X-3-16-06/03/2015 दिनांक 10 जून 2016 से उत्तराखण्ड ईकोटूरिज्म कॉरपोरे"ान लिमिटेड का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1. उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म कॉरपोरे"ान एक लिमिटेड कम्पनी होगी, जिसके क्रियाकलापों का संचालन कम्पनी अधिनियम–2013 के अनुसार कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से किया जायेगा।
2. कम्पनी की सम्पूर्ण पूँजी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी किसी भी द"ाा में 51% से कम नहीं हो सकेगी।
3. कम्पनी में निदे"ाकों की न्यूनतम संख्या 03 (तीन) तथा अधिकतम 07 (सात) होगी व उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के लिए, जैसा कि सरकार समय–समय पर विनि"चय (Determine) करे, की जायेगी।
4. इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन होंगे। कम्पनी का प्रबन्ध निदे"ाक भारतीय वन सेवा से नियुक्त किया जायेगा।

उत्तराखण्ड ईकोटूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड कम्पनी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व हैं :–

1. कम्पनी की सभी शाखाओं में प्रकृति पर्यटन (Nature Tourism) गतिविधियों को संचालित करना। पर्यटन को बढ़ावा देने एवं उसे विकसित करने हेतु अन्य किसी प्रकार के सामन्जस्य (Cordination) स्थापित करना।
2. पर्वतारोहण, रॉक क्लांईबिंग, ट्रेकिंग, नदियों एवं झीलों में नौकायन/राफ्टिंग, गेम सफारी, एक्सकर"ान, टूर ऑपरेटर आदि गतिविधियों को संचालित करना तथा लॉग केबिन/वन कुटीर का निर्माण कर कैम्पिंग सुविधाओं को सुलभ करना।
3. पर्यटकों, ट्रेवल एजेन्टो एवं ठेकेदारों की गतिविधि संचालित करना तथा पर्यटकों को टिकट आरक्षण, बैंकिंग एवं विनिमय, स्लीपर कार/बर्थ एवं होटल आरक्षण, स्वास्थ्य केन्द्र, गाईड्स की सुविधा तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं को सुगम करना

4. रोपवे, बैलून आदि हवाई सैर कराना।

5. वन, वन्यजीव संरक्षण एवं विकास में मदद करना तथा पर्यावरण सुधार में परोक्ष/अपरोक्ष रूप में सम्मिलित होना।

6. दे"ा एवं विदे"ा में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने अथवा संरक्षण एवं वन्य–जन्तुओं के वातावरण सुधार में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों में पराम"ार्ी एवं सलाहकार की भूमिका का निर्वह करना।

पक्षी संरक्षण व प्रकृति संरक्षण से जुड़ी प्रमुख गतिविधियाँ

राज्य में बर्ड टूरिज्म के विकास की अपार सम्भावनायें हैं। राज्य में 14 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Islam & Rehmano, 2004) हैं, जो कि संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक क्षेत्र हैं। गत वर्षों के दौरान पक्षी संरक्षण व प्रकृति संरक्षण के साथ–साथ इन गतिविधियों को व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करने की दि"ाा में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उल्लेखनीय पहल की गयी है। जिनमें निम्नलिखित उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल एवं नेचर फेस्टिवल के आयोजन प्रमुख हैं।

बर्ड फेस्टिवल

- प्रथम उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल (आसन, 5–9 फरवरी, 2014)
- द्वितीय उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल (पवलगढ़, 4–8 फरवरी, 2015)
- तृतीय उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल (आसन, एफ0आर0आई0, राजपुर, थानों 11–14 फरवरी, 2016)
- चतुर्थ उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल (नन्धौर, 3–5 मार्च, 2017)

नेचर फेस्टिवल

- प्रथम राजपुर नेचर फेस्टिवल (1–2 नवम्बर, 2014)
- द्वितीय राजपुर नेचर फेस्टिवल (31 अक्टूबर–2 नवम्बर, 2015)
- तृतीय राजपुर नेचर फेस्टिवल (5–7 नवम्बर, 2016)
- चतुर्थ नेचर फेस्टिवल (4–6 नवम्बर, 2017)
- छोटी हल्द्वानी शताब्दी समारोह (25–27 दिसम्बर, 2015)

उत्तराखण्ड राज्य में वनविभाग के अन्तर्गत निम्नलिखत प्रमुख ईको टूरिज्म गंतव्य हैं :–

- धनौल्टी ईको पार्क, मसूरी वन प्रभाग
- सिमतोला ईको पार्क, अल्मोड़ा वन प्रभाग
- कौड़िया ईको पार्क, टिहरी वन प्रभाग

- लच्छीवाला नेचर पार्क, देहरादून वन प्रभाग
- नीर झरना, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
- हिमालय बॉटैनिक्ल गार्डन, नैनीताल वन प्रभाग
- संजय वन, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी
- चौरसी कुटिया, राजाजी टाइगर रिजर्व
- जी0बी0पंत हाई अल्टिट्यूड जू, नैनीताल वन प्रभाग
- देहरादून जू, देहरादून वन प्रभाग
- हर्बल गार्डन व ईको पार्क, पिथौरागढ़ वन प्रभाग
- कॉर्बेट म्यूजियम, रामनगर वन प्रभाग
- कॉर्बेट फॉल, रामनगर वन प्रभाग
- बराती राव, तराई पि"चमी वन प्रभाग

साहसिक खेलों के माध्यम से प्रकृति आधारित पर्यटन :–

पर्वतारोहण :–

राज्य द्वारा पर्वतारोहण अभियानों के लिए दि"ाानिर्दे"ा तैयार किए गए हैं। पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपयोग के साथ एक विनियमित तरीके से पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के उद्दे"य से दि"ाानिर्दे"ा विकसित किए गए हैं, ताकि उत्तराखण्ड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में निरन्तर पर्यटन हो सके। उत्तराखण्ड में कुल 83 चोटियाँ पर्वतारोहियों के लिए खुली हैं। उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण हेतु दि"ाानिर्दे"ा निर्धारित किए गए हैं :–

1. जागरूकता और संवर्द्धन
2. पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय
3. कचरा निपटान सुनि"चित करने के लिए उपाय
4. कोर अभियान टीम के सदस्यों और अभियानों की आवृत्ति की संख्या
5. पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर नियंत्रण

उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण अभियान के लिए शुल्क और टैरिफ हेतु निम्न बिन्दु सम्मिलित हैं :–

1. वि"ोष चोटी पर चढ़ने के लिए उत्तराखण्ड सरकार को देय पीक शुल्क
2. कैम्पिंग साइट शुल्क और ट्रेल प्रबन्धन शुल्क एनरेट करना
3. राज्य सरकार की सेवा/हैंडलिंग शुल्क
4. पर्यावरण लेवी
5. राष्ट्रीय उद्यान आर अभ्यारण्य शुल्क, जहाँ लागू हो
6. राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य में व्यावसायिक फिल्मी शुल्क, जहाँ लागू हो

ट्रेकिंग, हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग :–

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेकिंग, लम्बी पैदल यात्रा और चट्टान चढ़ाई के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। कई दिलचस्प ट्रेक मुनस्यारी–मिलम–रालम ग्ले"ियर के साथ चल रहे कुछ अच्छे ट्रेकिंग मार्गों के साथ गोरी घाटी को जोड़ती है। ये ट्रेक सिर्फ साहसिक कार्य ही नहीं करते हैं, बल्कि चौदान, बाईन्स, और दर्मा वैलीज में लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने और समझने का एक दिलचस्प तरीका भी है। बागे"वर–सुंदरढुंगा–पिंडारी–कफनी ग्ले"ियर ट्रेक क्षेत्र में एक और अत्यधिक पसंदीदा ट्रेकिंग मार्ग है।

गढ़वाल क्षेत्र में भी कई रोमांचकारी ट्रेक उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ पंच केदार ट्रेक, केदारनाथ–वासुकी ताल ट्रेक, गंगोत्री–केदारनाथ टक और गंगोत्री–गौमुख–नंदनवन–तपोवन ट्रेक भी हैं। पंचकेदार ट्रेक केदारनाथ, मदमहे"वर, तुंगनाथ, कल्पे"वर और रूद्रनाथ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पंच केदारों से गुजरता है। आकर्षक मार्ग वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत श्रृंखला के साथ व्यापक रूप से जुड़े हुए ह। फूलों की घाटी और हेमकुंड ट्रेक गोविंदघाट से शुरू होती है और बद्रीनाथ की ओर ले जाती है। कालिन्दिखाल ट्रेक, खतलिंग–सहस्त्रताल–मर्साताल ट्रेक, हर की दून ट्रेक, ऋषिकेष–पौर–विंसर ट्रेक और रूपकुंड ट्रेक जैसे अन्य ट्रेक अनुभवी पर्वतारोहण के लिए समान रूप से आकर्षक हैं।

राफ्टिंग :–

राफ्टिंग उत्तराखण्ड में सबसे लोकप्रिय साहिसक खेलों में से एक है। यह गहरे जंगलों चट्टानी इलाकों, पहाड़ों और कभी–कभी बर्फीले ढ़लानों के साथ बहने वाली नदी के साथ एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। अलकनंदा, धौलीगंगा आर काली नदियों के साथ फैले कई चुनौतीपूण रैपिड्स हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्र"ािक्षित और योग्य मार्गद"ािका राफ्टिंग पाठयक्रम आयोजित करते हैं। इनमें राफ्टिंग, नदी गाइड सेवाएं, बोर्डिंग और आवास शामिल हैं। राफ्टिंग ट्रिप का एक प्रमुख बड़ा हिस्सा निजी तौर पर संचालित साहसिक क्लबों द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया जाता है। ज्यादातर "ािविर आमतौर पर "ािवपुरी और कौडियाला के बीच स्थिति होते हैं। राफ्टिंग का मौसम 1 सितम्बर से 30 जून तक है । (उत्तराखण्ड नदी राफ्टिंग और कयाकिंग नियम 2014 (सं"ोधित वर्ष 2015)। उत्तराखण्ड में नदी राफ्टिंग खिंचाव (स्रोत यूटीडीबी)

1. कौडियाला से गंगा नदी पर –ऋषिके"ा, 36 किमी0 की एक खिंचाव
2. यमुना नदी पर, 20 किमी। नैनबाग से फैला–यमुना ब्रिज–जुडो
3. काली/"ारदा नदी–बलवाकोट–जौलजीबी–पंचे"वर–रणकपुर, 95 किमी की खिंचाव पर।
4. 30 किमी टोस नदी, मोरी से तुनी नदी पर फैलाव
5. गोरी गंगा नदी पर – बरेहम से जौलजीबी राफ्टिंग 8 किमी।
6. कोसी नदी–खैरना से मोहन तक, 40 किमी। राफ्टिंग और कुमरिया से रामनगर 25 किमी।
7. सरयू नदी पर –बागे"वर से रामे"वर, 70 किमी की एक खिंचाव और रामे"वर से पंचे"वर तक 20 किमी की रेटिंग दूरी
8. रामगंगा पूर्व में–थल–नाचनी–रामे"वर, 80 किमी। राफ्टिंग खिंचाव
9. रामगंगा प"िचम–चौखुटिया–भिकियासैंण–मर्चुला– 90 किमी की राफ्टिंग खिंचाव पर।

राफ्टिंग डाटा (स्रोत यूटीडीबी)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	योग
2003-2004	15,145	2615	17,760
2004-2005	18,002	2861	20,863
2005-2006	22,577	3085	25,662
2006-2007	26,798	2720	29,518
2007-2008	28,271	3589	31,860
2008-2009	23,499	3179	26,678
2009-2010	23,366	2017	25,383
2010-2011	65,320	6911	72,231
2011-2012	59,508	4,665	64,173
2012-2013	52,190	4,768	56,933
2013-2014	37,965	3,983	41,948
2014-2015	49,620	3,330	53,388
2015-2016	53,682	3,446	57,128
2016-2017	43,715	3,033	46,748

कैम्पिंग :–

कैम्पिंग प्रकृति की सुन्दरता और विविधता का आनन्द लेने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। प्रकृति की गोद में गुणवत्ता का समय बिताने और अन्यथा व्यस्त जीवन से ब्रेक लेने का यह सबसे अच्छा तरीका है। उत्तराखण्ड हिमालयी क्षेत्र एक ऐसा राज्य है जो वन्यजीव ि"ाविर या सामान्य रूप में कैम्पिंग अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

गृह आवास के माध्यम से प्रकृित आधारित पर्यटन

गृह आवास उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध हिमालयी आतिथ्य के अनुभव को संयोजित करने और अद्वितीय प्राकृतिक दृ"यों का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है। यह स्थानीय सामाजिक अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर भी प्रदान करता है। उत्तराखण्ड सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास–विकास योजना नियम 2018 को अधिसूचित किया है। ये नियम राज्य में पर्यटन की उद्योग स्थिति के अनुसार तैयार किए गए हैं। इससे पर्यटन को उद्योग के रूप में बढ़ावा मिलेगा और राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के निम्न उद्दे"य निर्धारित किए गए हैंः–

- स्थानीय लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के साथ नये पर्यटन स्थल विकसित करना।

- पर्यटकों को राज्य की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, पारम्परिक/पहाडो शैली एवं व्यंजनों से परिचित कराना।
- प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से राज्य के राजस्व में वृद्धि करना।
- स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदे"ा से पलायन को रोकना।
- विजन 2020 के अंतर्गत 5000 होम स्टे विकसित करने का लक्ष्य।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास मास्टर प्लान (यूटीडीएमपी) 2007–2022 :–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास मास्टर प्लान (यूटीडीएमपी) 2007–2022 उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और वि"व पर्यटन संगठन द्वारा तैयार किया गया पर्यटन के विकास के लिए एक सम्पूर्ण योजना है। उत्तराखण्ड राज्य के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सतत पर्यटन, सुविधाओं और उत्पादों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का समर्थन करना, मास्टर प्लान की तैयारी की प्रक्रिया में पर्यटन क्षेत्र से क्षेत्र में कमी एवं राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी पर्यटन हितधारकों को शामिल कर समेकित तरीके से पहचान की कमी शामिल है। यूटीडीएमपी प्रकृति आधारित पर्यटन/पारिस्थितिकी को भी छूता है और इस प्रकार राज्य में इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मार्गद"ाक दस्तावेज माना जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

उत्तराखण्ड में सम्भावित ईको पर्यटन वीथि :–

यूटीडीएमपी के अनुसार चूंकि राज्य को भौगोलिक परिदृ"यों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ–साथ कठिनाईयों के सापेक्ष डिग्री के साथ सम्पन्न किया गया है, जो कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण–पर्यटकों को लक्षित किया जा सकता है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:–

- सामान्य ईको पर्यटक
- जैव विविधता में दिलचस्पी ईको पर्यटक
- ट्रेकिंग ईको पर्यटक
- साहसिक/खेल पर्यटक

यूटीडीएमपी में उल्लिखित मुख्य समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण के अलावा किसी अन्य प्रकार की गतिविधि में शामिल होने के लिए वन विभाग की एक सामान्य कथित अनिच्छा
- जागरूकता की सामान्य कमी कैसे पारिस्थितिकता वास्तव में अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को एकीकृत करने के माध्यम से संरक्षण में ममद कर सकती है
- गैर संरक्षित क्षेत्रों में पर्यावरण की स्थिति जो पारिस्थितिकता में रूचि को उत्तेजित नहीं करती है

- कई राष्ट्रीय उद्यानों में पारिस्थितिकी सुविधाओं की कमी और प्रबन्धन प्रक्रियाओं की कमी के उद्दे"य से संरक्षण सुधार के साथ आगंतुक विकास को जोड़ना है।
- यह भी बताया गया है कि उत्तराखण्ड मे वनों के बाकी हिस्सों में अपेक्षाकृत कम संख्या में आगंतुकों के लिए वर्तमान नीतियां जिम्मदार हैं, 2006–2007 मे केवल 201,000 आगंतुक सभी राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्यों में गेस्ट हाउस में रहे थे (जिनमें से लगभग 139,000 अकेले कॉर्बेट ने"ानल पार्क में रहे थे)। 2001–2002 की अवधि में 138,000 की तुलना में यह प्रति"ात शर्तों में वृद्धि द"ार्ाता है, लेकिन आगंतुकों का निम्न आधार अभी भी बहुत कम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रस्तावित ईको टूरिज्म कार्यनीति (यूटीडीएमपी, 2007–2022)

यूटीडीएमपी ने एक इको टूरिज्म कार्यनीति का भी प्रस्ताव दिया है जिसके मुख्य तत्व हैं : –

1. राष्ट्रीय पर्यटन नीति प्रक्रिया के साथ–साथ तैयारी के तहत राज्य पर्यटन/पारिस्थितिकी नीतियों में पारिस्थितिकता एजेंडा का पालन करना
2. स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताएं निर्धारित करना
3. प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्रों को पहचानना और विकसित करना
4. पारिस्थितिकता में सामुदायिक भागीदारी के लिए दि"ाानिर्दे"ा प्रस्तुत करना
5. शहरी पर्यावरण में सुधार
6. पारस्थितिकता की सुविधा के लिए नियामक तंत्र को संगठित करना
7. एक प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा स्थापित करना

पर्यटन विकास मास्टर प्लान में सुझाव दिया गया है कि ईको टूरिज्म ट्रेकिंग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए सूचना केंद्रों की स्थापना की भी आव"यकता है। ये ट्रेक्स की शुरूआत में या नामित कस्बों या गांवों में पे"ा किए जाने चाहिए। सूचना संकेत और मार्गद"ार्क बिन्दु भी विकसित किए जाने चाहिए। पारिस्थितिकता बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं को विकसित करने की भी आव"यकता है जैसे :

- लक्जरी और बुनियादी दोनों ईको–लॉज का विकास,
- प्राकृतिक सुविधाओं, जीवों और वनस्पतियों से पर्यटकों/आगंतुको को सूचित करने के लिए स्थानीय सामग्रियों से अथवा संकेतों से
- वि"ोष रूप से नामित संरक्षण क्षेत्रों में वि"ोष पर्यावरण–रिसॉर्टस की लम्बी अवधि में विकास
- नदियों की पारिस्थितिकी और प्राकतिक वि"ोषताओं को प्र"िाक्षित मार्गद"ार्कों के माध्यम से व्याख्या के साथ अत्यधिक चुनिंदा कयाकिंग या राफ्टिंग पर्यटन के विकास के लिए जहां उचित हो
- पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों के लिए प्रकृति f"ाविर

मास्टर प्लान में पारिस्थितिकता को सुविधा के लिए नियामक तंत्र को स"ाोधित करने में निम्नलिखित बिन्दु भी शामिल हैं :–

1. चयनित क्षेत्रों में ईको टूरिज्म विकास सुविधा
2. पर्यटन के माध्यम से संरक्षण निधि देने के लिए योजनाएं बनाना
3. प्रमाण और मान्यता प्रणाली

प्रस्तावना

पारिस्थितिकता का उद्दे"य दीर्घकालिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसमें स्थानीय समुदाय का समग्र विकास शामिल है और मेजबान आबादी की प्राकृतिक और सांस्कृतिक वि"ोषताओं की बेहतर समझ और प्र"ांसा प्रदान करने एवं सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय, अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–सांस्कृतिक समझ की ओर अग्रसर है। पारिस्थितिकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटक है।

ग्रामीण ईको टूरिज्म योजना

हर साल लाखों तीर्थयात्रियों का गंतव्य होने के अलावा राज्य समृद्ध वनस्पतियों और जीवों का घर है और अद्वितीय सुन्दरता से सम्पन्न है जो राज्य में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए अत्यधिक क्षमता प्रदान करता है। कई पर्यटन स्थल ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक हैं और राज्य को अर्थव्यवस्था के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन से सम्बन्धित आजीविका के अवसरों की अनन्त सम्भावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। "उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन विकास योजना" 2014 में राज्य में पारिस्थितिकी के विकास के लिए शुरू की गयी थी।

सिफारि ें

आयोग द्वारा प्रकाि"ात एवं अप्रकाि"ात सूचना तथा विभिन्न हितधारकों से परामि"र्ा के आधार पर सिफारि"ें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका सारां"ा निम्न प्रकार से है :–

सामान्य सिफारिशें –

1. **प्रकृति आधारित पर्यटन की नीति** :– राज्य में प्रकृति आधारित पर्यटन को दि"ाा प्रदान करने के लिए राज्य की पर्यटन आधारित नीति बनायी जानी आव"यक है। यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और इसे शीघ्र ही पूरा किया जाना आव"यक है। अन्य कई राज्यों ने ऐसी नीति तैयार कर ली गयी है। इस नीति में स्थानीय समुदायों की भागीदारी एवं प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इको टूरिज्म से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा एवं पलायन पर अंकु"ा लगेगा।

2. **इको टूरिज्म मास्टर प्लान** :– पूरे राज्य के लिए इको टूरिज्म विकास मास्टर प्लान बनाया जाना आव"यक है तथा क्षेत्र की आव"यकतानुसार उपयोजना भी बनायी जाए जिसस इको टूरिज्म का संतुलित विकास हो सके।

3. **एकल एजेन्सी** :– इस समय राज्य में विभिन्न विभाग या एजेन्सियां इको टूरिज्म विकास का कार्य देख रही हैं। यह आव"यक है कि एक ही एजेन्सी इस कार्य को देखे। आयोग यह सिफारि"ा करता है कि केवल ईको टूरिज्म डैवलपमेंट कॉरपोरे"ान, उत्तराखण्ड को ही इस कार्य को सौंपा जाए।

4. **सूचना** :– इको टूरिज्म पर सूचना का अभाव है। इससे पर्यटकों को असुविधा होती है। सूचना प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाईट या वेब एप बनाया जाना चाहिए जिससे सभी पर्यटकों को ईको टूरिज्म गंतव्य पर तुरन्त सभी सूचनाऐं तुरन्त मिल सके। साथ ही जी0पी0एस0 सिस्टम को मजबूत किया जाए।

5. **पानी** :– उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है। पर्यटक सीजन में पर्यटकों को परे"ाानी उठानी पड़ती है। अतः सभी ईको टूरिज्म गंतव्यों में जल संरक्षण एवं वर्षाजल संग्रहण नि"िचत किया जाए।

6. **ऊर्जा** :– सभी गंतव्यों में गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का प्रावधान होना चाहिए।

7. **दूरसंचार** :– राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाऐं संतोषजनक नहीं हैं। इससे पर्यटकों को असुवधिा होती है। अतः सभी ईको टूरिज्म गंतव्यो में दूरसंचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।

8. **ब्रांड के रूप में विपणन** :– उत्तराखण्ड में प्रकृति आधारित पर्यटन का गंतव्य एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में विपणन किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बड़ी संख्या में राज्य की ओर आऐंगे।

9. **कचरा प्रबंधन** :– अधिका"ा गंतव्यों में कचरा प्रबन्धन की सुविधा संतोषजनक नहीं है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है एवं पर्यटकों को असुविधा होती है। इसके लिए सरकार द्वारा स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा टूर ऑपरेटर्स के साथ मिल कर कदम उठाये जाने चाहिए। सभी गंतव्यों में शौचालयों का प्रबन्धन किया जाना जरूरी है।

10. **ईको टूरिज्म तथा स्थानीय हस्ति"ाल्प, भोजन, संस्कृति एवं त्यौहार** :– ईको टूरिज्म गंतव्यों के साथ स्थानीय हस्ति"ाल्प, भोजन, संस्कृति, त्यौहारों एवं मेलों, हाट बाजार को जोड़ा जाए जिससे पर्यटक इनका पूरा लाभ उठा सके। ऐसा नेपाल तथा भूटान में किया जा रहा है।

11. **आकंड़े एवं सांख्यिकी** :– ईको टूरिज्म के विकास एवं नीति निर्धारण के लिए आंकड़े एकत्रित किया जाना आव"यक है। अतः इन्हें योजनाबद्ध तरीके से सभी गंतव्यों के लिए एकत्रित करके नीति निर्धारक तथा निर्णयकर्ताआ को उपलब्ध कराया जाए।

12. **वहन क्षमता** :– राज्य के कुछ ईको टूरिज्म गंतव्यों पर भारी दबाव है क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, परन्तु कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर्यटकों/आगंतुकों की संख्या कम है। अतः विभिन्न गंतव्यों की वहन क्षमता का अध्ययन करके अन्य गंतव्यों को विकसित किया जाए।

13. **स्थानीय समुदायों की भागीदारी** :– ईको टूरिज्म में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनि"िचत करने से उनको रोजगार मिलेगा तथा स्थानीय सामाजिक–आर्थिकी सुदृढ़ होगी। इससे पलायन की समस्या भी कम होगी। अतः ईको टूरिज्म में स्थानोय समुदायों की भागीदारी पर ध्यान देना जरूरी है।

14. **हितधारकों में समन्वय** :– प्रकृति आधारित पर्यटन से जुड़े विभिन्न हितधारकों में समन्वय बनाऐ जाने की भी सिफारि"ा की जाती है। इनमें सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र के विभिन्न हितधारक भी शामिल हैं।

15. **मानक एवं प्रमाण** :– उत्तराखण्ड में ईको टूरिज्म से जुड़े विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक एवं प्रमाण की प्रणाली विकसित की जाने से भी लाभ मिलेगा। इनमें ISO 50001, ISO14001 एवं ISO 9001 शामिल हैं।

16. **सुरक्षा** :– एक पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड प्राकृति आपदाओं से प्रभावित होता है। ईको टूरिज्म के लिए ऐसे क्षेत्र विकासित किए जाऐं जहाँ ऐसी अपदाओं का खतरा कम हो। खाद्य पदार्थों तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से जुड़े सुरक्षा के अन्य उपाय भी किए जाने आव"यक हैं।

17. **वन एवं वन्य जन्तु अधिनियम** :– उत्तराखण्ड का 70% से अधिक भू–भाग वनों से ढ़का है। अतः अधिकतर प्रकृति आधारित पर्यटन गतिविधियों में वन क्षेत्र का उपयोग होने की सम्भावना रहती है। इसलिए विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत ही यह कार्य होंगे।

18. **कौशल विकास** :– प्रकृति आधारित पर्यटन से जुड़े कौ"ाल विकास कार्यक्रमो पर बल देकर इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इनमें महिलाओं की संख्या कौ"ाल विकास कार्यक्रमों में बढ़ाए जाने की आव"यकता है।

19. **पारिस्थितिकी का संतुलन** :– ईको टूरिज्म से स्थानीय पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाऐ जाने आव"यक हैं। इनमें कचरा प्रबन्धन तथा जल प्रदूषण प्रबन्धन आदि उपाय हैं, जिससे पारिस्थितिकी का संतुलन बनाये रखा जा सकता है।

20. **यातायात प्रबन्धन** :– राज्य के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटन काल में यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। ऋषिके"ा एक ऐसा स्थान है जहाँ से तीर्थयात्री एवं अन्य पर्यटक राज्य के पर्वतीय क्षत्रों में प्रवे"ा करते हैं, जिससे यातायात प्रबन्धन में बाधा आती है। इसलिए ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर यातायात प्रबन्धन की योजना बनायी जाए।

सेक्टर विशिष्ट सिफारिशें –

वन्यजीव पर्यटन :–

1. प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और संरक्षण आरिक्षिति को पर्यटन विकास योजना तैयार करनी चाहिए जो पारिस्थितिकीय स्थिति को ध्यान में रखेगी और पर्यटकों और पर्यटन क्षेत्र के प्रबंधन के लिए विस्तृत दि"ाानिर्दे"ा प्रदान करेगी।

2. राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के अंदर यात्रा के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग करें

3. इन संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले स्थानीय समुदाय ने प्रकृति आधारित पर्यटन में शामिल होने की आव"यकता है। इससे आजीविका उत्पादन में मदद मिलेगी और उन्हें वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण में शामिल किया जाएगा।

ट्रेकिंग और हाइकिंग :–

ट्रेकिंग और हाइकिंग राज्य में एक नियमित गतिविधि बनी हुई है। गतिविधि में विनियमन और सार्वजनिक–निजी समन्वय की आव"यकता है क्योंकि यह राज्य में एक लोकप्रिय गतिविधि है। वन्य जीवन और बर्ड वॉचिंग को ट्रेकिंग और हाइकिंग से भी जोड़ा जा सकता है।

गृह आवास :–

वर्तमान पंजीकृत गृह आवास विभिन्न जनपदों के बीच गृह आवास में असमान वितरण देखा जा सकता है। जहाँ एक ओर जनपद टिहरी एवं अल्मोड़ा में गृह आवास की संख्या क्रम"ाः 79 एवं 69 है, वहीं जनपद रूद्रप्रयाग और चमोली में इनकी संख्या क्रम"ाः 1 एवं 2 है। आस–पास के प्रकृति आधारित गतिविधियो के साथ गृह आवास विकास के सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिए गृह आवास विकास, सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण ट्रेकिंग और पर्वतारोहण मार्गों पर स्थिति ग्रामों में किया जा सकता है। जनपदवार पंजीकृत गृह आवास इकाइयों का विवरण निम्न तालिकानुसार ह :–

जनपद का नाम	पंजीकरण इकाइयों की संख्या
नैनीताल	52
उत्तरका"ाी	19
बागे"वर	14
टिहरी	79
पौड़ी	4
देहरादून	79
हरिद्वार	5
रूद्रप्रयाग	1
ऊधम सिंह नगर	2
अल्मोड़ा	69
पिथौरागढ़	6
चमोली	2
चम्पावत	3

राफ्टिंग :–

नदियों में राफ्टिंग करने के लिए प्र"िाक्षित गाइड्स की संख्या बढ़ाने और गाइड के उचित प्रमाणीकरण की आव"यकता है। सुरक्षा प्रबंधन को बढ़ाकर राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वर्ष 2003 से 2010 तक राफ्टिंग पर्यटकों की संख्या में औसत वृद्धि दर्ज की गयी है, परन्तु वर्ष 2011 के प"चात् पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु समुचित उपाय किए जाने अतिआव"यक हैं।

Printed at : S.S. Technoprint, Dehradun, Ph.: 0135-2715092